न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्री गौरव कुमार मित्तल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 7/2021
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2021/6
दायर दिनांक– 08.01.2021
निर्णय दिनांक– 13.02.25
उनवानी–

1. मानसिंह पुत्र कानसिंह
2. श्रीमती निर्मला कंवर पत्नि कानसिंह
   सर्वजाति राजपूत सर्वनिवासी दरडून्द तह0 रूपनगढ़ हाल नि0 प्लॉट नं0 70 पार्श्वनाथ इन्कलेव ई–ब्लॉक, वाटिका रोड़, गांव बास बिलवा, सांगानेर जयपुर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. कानसिंह पुत्र तेजसिंह
2. प्रकाशसिंह पुत्र कानसिंह
   सर्वजाति राजपूत सर्वनिवासी दरडून्द तह0 रूपनगढ़
3. उप पंजीयक रूपनगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
5. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक
6. श्रीमती ओम कंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह
7. गोविन्दसिंह पुत्र स्व0 हनुमानसिंह
8. संतोष कंवर पुत्री स्व0 हनुमानसिंह
9. ललिता कंवर पुत्री स्व0 हनुमानसिंह
10. आजादसिंह पुत्र कालूसिंह
11. कमलसिंह पुत्र कालूसिंह
12. किरण कंवर पत्नि लक्ष्मणसिंह
13. जोरावरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
14. भंवर कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह
15. भंवरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
16. मूलसिंह पुत्र दशरथसिंह
17. महेन्द्रसिंह पुत्र कालूसिंह
18. शेरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
19. सम्पत कंवर पत्नि कालूसिंह
    प्रतिवादी संख्या 6 से 19 जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम दरडून्द तह0 रूपनगढ़

..... प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वद पत्र–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री परमानंद शर्मा अधि0 वादीगण
2. श्री शांतिलाल ढ़ेल अधि0 प्रतिवादी सं. 1

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी संख्या 1 का प्रतिवादी संख्या 1 पिता, प्रतिवादी संख्या 2 भाई है एवं वादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 पति व प्रतिवादी संख्या 2 पुत्र है। वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के दादा, वादी संख्या 2 के श्वसुर का नाम, प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का नाम तेजसिंह वल्द केसरसिंह है तथा वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 की दादी, वादी संख्या 2 की सास का नाम, प्रतिवादी संख्या 1 की माता का नाम भंवर कंवर पत्नि तेजसिंह है। वादी संख्या 1 के दादा एवं वादी संख्या 2 के श्वसुर तेजसिंह वल्द केसरसिंह, वादी संख्या 1 की दादी एवं वादी संख्या 2 की सास स्व0 भंवर कंवर पत्नि तेजसिंह की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम दरडून्द पटवार हल्का निटूटी तहसील रूपनगढ़ के खाता संख्या नया/पुराना 227/116 के ख0न0 70 रकबा 3.1631 है0, ख0न0 71 रकबा 0.2346 है0 व ख0न0 78 रकबा 1.2135 है0 कुल खसरा 3 कुल रकबा 4.6112 है0 भूमि थी। वादी संख्या 1 के दादा एवं वादी संख्या 2 के श्वसुर तेजसिंह पुत्र केसरसिंह, वादी संख्या 1 की दादी एवं वादी

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

संख्या 2 की सास भंवर कंवर पत्नि तेजसिंह की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम दरडून्द तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जिसके खाता संख्या नया/पुराना 226/115 के ख0न0 79 रकबा 0.0889 है0, ख0न0 80 रकबा 3.8427 है0 भूमि कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.9316 है0 भूमि थी। वादी सख्या 1 के दादा, वादी संख्या 2 के श्वसुर तेजसिंह, वादी संख्या 1 की दादी व वादी संख्या 2 की सास भंवर कंवर की मृत्यु हो चुकी है। तेजसिंह व भंवर कंवर की मृत्यु के बाद वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा, हनुमानसिंह को 1/2 हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार वाद वर्णित भूमि पैतृक पुश्तेनी भूमि होकर विरासत में प्राप्त भूमि है। वाद वर्णित पुश्तैनी/पैतृक भूमि ख0न0 79 रकबा 0.0889, ख0न0 80 रकबा 3.8427 है0 भूमि कुल रकबा 3.9316 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 हनुमान सिह व भंवर कंवर के द्वारा प्रफोर्मा पक्षकार संख्या 10 से 19 के पूर्वज स्व0 दशरथसिंह पुत्र लादूसिंह राजपूत को बेचान कर दिया गया था। उक्त के पंश्चात से वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा शेष रहा था। वाद वर्णित भूमि पैतृक पुश्तैनी है। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित 1/2 हिस्सा व 1/4 हिस्सा विरासत में प्राप्त भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि में निहित हिस्सा विरासत में प्राप्त होने के कारण वादी संख्या 1 को उक्त भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत हक हिस्सा अधिकार जन्म से प्राप्त है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का वाद वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में निहित 1/2 हिस्सा में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा निहित होकर कुल भूमि का 1/6 हिस्सा बनता है तथा वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का निहित 1/4 हिस्सा में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा निहित होकर कुल भूमि का 1/12 हिस्सा बनता है। वाद वर्णित भूमि पैतृक पुश्तैनी विरासत में प्राप्त भूमि होने के कारण विधि अनुसार वादी संख्या 1 का उक्त भूमि में हक हिस्सा, अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो गये है। वाद वर्णित भूमि पैतृक, पुश्तैनी होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त सम्पर्ण भूमि में किसी तरह का कोई संव्यवहार करने, बैचान आदि निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 के बहकावे में होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त पैतृक पुश्तैनी भूमि के बाबत् अवैध रूप से संव्यवहार करवा कर, बैचान करवा कर उक्त पैतृक पुश्तैनी भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के बहकावे में आकर वादीगण को उक्त भूमि के बाबत् संव्यवहार कर उक्त के बाबत् दस्तावेज निष्पादित कर उक्त को खुर्द बुर्द करने की दिनांक 15.12.2020 को पुनः धमकी देने पर वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को समझाने पर प्रतिवादी संख्या 1 नही माना तथा वादीगण को धमकी दी गई कि यदि तुम्हारे द्वारा दुबारे मेरे द्वारा उक्त भूमि के बाबत् संव्यवहार करने से रोका गया तो जान से मार दूंगा। प्रतिवादी संख्या 1 को वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में हो रखे अंकन के आधार पर उक्त पैतृक , पुश्तैनी सम्पति को बेचान, खुर्द-बुर्द करने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु वादीगण के पक्ष में सिद्ध है। क्योंकि प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि पैतृक व पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को हक हिस्सा विधि अनुसार प्राप्त है। उक्त के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि के बाबत् संव्यवहार कर दस्तावेज निष्पादित करने पर उतारू है। वादीगण की ओर से निवेदन है कि ग्राम दरडून्द के ख0न0 70 रकबा 3.1631 है0, ख0न0 71 रकबा 0.2346 है0 व ख0न0 78 रकबा 1.2135 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व रिकार्ड में अंकित 1/2 हिस्सा तथा ख0न0 79 रकबा 0.0889 है0, ख0न0 80 रकबा 3.8427 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व रिकार्ड में अंकित 1/4 हिस्सा में से वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित होकर कुल रकबा भूमि में 1/12 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये खातेदारी की घोषणात्मक डिकी बहक वादी संख्या 1 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 पारित की जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रकरण में जवाब पेश नही करने पर उसका जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार ने प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए वाद वर्णित भूमि में वादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार होने के कथन किये एवं वादी संख्या 1 को उनके निहित हिस्से अनुसार खातेदारी प्रदान करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस में वादी संख्या 1 को वाद वर्णित पैतृक भूमि में उनके हिस्से अनसुार खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने बाबत् समहति जाहिर की। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन, अवलोकन किया गया व वकील वादी, प्रतिवादी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न जमाबंदी अंतिम चौसाला आधार संवत् 2070–2073 जमाबन्दी 2075 खाता संख्या 227 (पुराना 116) के ख0न0 70, 71 व 78 ग्राम दरडून्द की प्रतिलिपि व खाता संख्या 226 (पुराना 115) के ख0न0 79 व 80 की प्रतिलिपि, खतौनी एकीकरण जमाबन्दी संवत् 2020 खाता संख्या 15 ख0न0 70, 79, 80 की प्रतिलिपि, नामान्तरकरण संख्या 68 प्रतिलिपि खाता संख्या 15 व जमाबंदी संवत् 2025–2028 के खाता संख्या 35 की नकल का अवलोकन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादी संख्या 1 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 कानसिंह पुत्र तेजसिंह को खातेदारी विरासत से प्राप्त हुई है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से वाद वर्णित भूमि पैतृक होने के कारण वादी संख्या 1 का उक्त भूमि 1/3 हिस्सा निहित होना सिद्ध होता है। अतः ग्राम दरडून्द के खाता संख्या 227/116 के ख0न0 70 रकबा 3.1631 है0, ख0न0 71 रकबा 0.2346 है0 व ख0न0 78 रकबा 1.2135 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 के निहित हिस्सा 1/2 में से 1/3 व खाता संख्या 226/115 के ख0न0 79 रकबा 0.0889 है0, ख0न0 80 रकबा 3.8427 है0 में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वादी के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

डिक्री

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

व इजलास–श्री गौरव कुमार मित्तल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 7/2021

1. मानसिंह पुत्र कानसिंह
2. श्रीमती निर्मला कंवर पत्नि कानसिंह

सर्वजाति राजपूत सर्वनिवासी दरडून्द तह0 रूपनगढ़ हाल नि0 प्लॉट नं0 70 पार्श्वनाथ इन्कलेव ई–ब्लॉक, वाटिका रोड़, गांव बास बिलवा, सांगानेर जयपुर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. कानसिंह पुत्र तेजसिंह
2. प्रकाशसिंह पुत्र कानसिंह

सर्वजाति राजपूत सर्वनिवासी दरडून्द तह0 रूपनगढ़

3. उप पंजीयक रूपनगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
5. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक

.....प्रतिवादीगण

6. श्रीनती ओम कंवर पत्नि स्व0 हनुमानसिंह
7. गोविन्दसिंह पुत्र स्व0 हनुमानसिंह
8. संतोष कंवर पुत्री स्व0 हनुमानसिंह
9. ललिता कंवर पुत्री स्व0 हनुमानसिंह
10. आजादसिंह पुत्र कालूसिंह
11. कमलसिंह पुत्र कालूसिंह
12. किरण कंवर पत्नि लक्ष्मणसिंह
13. जोरावरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
14. भंवर कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह
15. भंवरसिह पुत्र लक्ष्मणसिंह
16. मूलसिंह पुत्र दशरथसिंह
17. महेन्द्रसिंह पुत्र कालूसिंह
18. शेरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
19. सम्पत कंवर पत्नि कालूसिंह

प्रतिवादी संख्या 6 से 19 जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम दरडून्द तह0 रूपनगढ़

..... प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री गौरव कुमार मित्तल, आर.ए.एस. व हाजरी वादीगण मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम दरडून्द के खाता संख्या 227/116 के ख0न0 70 रकबा 3.1631 है0, ख0न0 71 रकबा 0.2346 है0 व ख0न0 78 रकबा 1.2135 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 के निहित हिस्सा 1/2 में से 1/3 व खाता संख्या 226/115 के ख0न0 79 रकबा 0.0889 है0, ख0न0 80 रकबा 3.8427 है0 में वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा मे से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वादी के हिस्से में आधी आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 13.02.25 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)